न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 65/2020 (2020/00160) दर्ज दिनांक 07.07.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. श्री भैरूसिंह पिता दुल्हेसिंह राजपूत निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. मु0 पारसकंवर बेवा दुल्हेसिंह राजपूत निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. केसरसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. बहादुरसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. डूंगरसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. शंकरसिंह पिता राजपूत निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. छीतरसिंह पिता राजपूत निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. सावंतसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. अर्जुनसिंह पिता बजैसिंहराजपूत निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. महावीर पिता बजैसिंह राजपूत निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. सुरेश पिता बजैसिंह राजपूत निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. हरिसिंह पिता बजैसिंहराजपूत निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. भंवरसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. सांवरसिंह पिता बंशीलाल कुम्हार निवासी मेलुणी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
13. गिरधारी पिता माधवलाल कुम्हार निवासी मेलुणी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
14. शंकरलाल पिता डालचन्द जाट निवासी सुण्डा का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
15. डालचन्द पिता नारू जाटनिवासी सुण्डा का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

उपस्थिति–अधिवक्ता प्रार्थी[illegible] हेमेन्द्र सुवालका

अधिवक्ता विपक्षी [illegible]5:–[illegible]हेन्द्रसिंह चुण्डावत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.25 17:17:06 IST
Reason: SelfAttested

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 1[illegible] लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 19[illegible]

निर्णय दिनांकः–25.01.2021

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशातहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3468रकबा 2.50 हे0 किस्म बीड़, आराजी संख्या 3473 रकबा 1.06 हे0 किस्म बीड़ कुल किता 02 कुल रकबा 3.56 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 968पर दर्ज होकर स्थित हैं।भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं।प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 एवं 6 लगायत 15बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पर विरोध प्रकट करते हुए प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज करने हेतु निवेदन किया।प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। विपक्षी संख्या 5 के अधिवक्ता ने दोराने बहस अवगत कराया गया कि पूर्व में विपक्षी द्वारा अपनी आराजियात में पत्थरगढ़ी करवा रखी है जिसमें खातेदार का पिता पार्टी था जिससे सीमा संबंधी कोई विवाद पैदा नहीं होता है व जवाब को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया।प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार हैअतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3468 रकबा 2.50 हे0 किस्म बीड़, आराजी संख्या 3473 रकबा 1.06 हे0 किस्म बीड़ कुल किता 02 कुल रकबा 3.56 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 968 पर दर्ज होकर स्थित हैं।भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1050/— (एक हजार पचास रु. मात्र) [illegible] जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1050/— (एक हजार पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। [illegible] सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.25 17:27:06 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner